

# स्मार्ट मीटर की बिलिंग से उपभोक्ता परेशान, नहीं हो रही सुनवाई

जहां स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं वहां सुधार की कोई गुंजाइस नहीं, क्योंकि बिजली कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि रीडिंग खपत के अनुसार ही जारी की जाती है

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। जहां भी स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां के उपभोक्ताओं में आने वाले बिलों को लेकर भारी बेचैनी दिखाई दे रही है। जहां बिल सौ रूपये के अंदर आ रहे थे वहां अचानक तीन हजार के आसपास बिल

पहुंच रहे हैं। जहां बिल तीन सौ के आसपास आ रहे थे वहां 24-25 हजार बिल जारी हो रहे हैं। बिजली कंपनी इन तरह के बिलों का खपत के आधार पर जारी होना बताती है। शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि मीटर सही चल रहा है। किन्तु

उपभोक्ता इसलिये परेशान है, इसलिये तनाव में है जितनी उसकी कमाई नहीं हो रही है उससे कहीं कई गुना अधिक बिल आयेगा तो वह अपने परिवार को भरण पोषण कैसे करेगा।

इस तरह की स्थिति यह भी साबित करती है कि स्मार्ट मीटरों के नाम पर जनता को लूटने व उसकी जेब की डकैती डालने की कोशिश की जा रही है। यह भी उपभोक्ता के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी है कि शहर में आधे से अधिक उपभोक्ताओं के यहां अभी पुराने डिजिटल मीटर ही लगे हुए हैं जबकि कई उपभोक्ताओं के घरों में मनुमानी तरीके से स्मार्ट मीटर लगा दिये गये। जिन उपभोक्ताओं के यहां डिजिटल मीटर लगे हुये हैं वे अभी राहत महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनके मीटरों के बिल स्मार्ट मीटर की तुलना में कहीं

बहुत कम आ रहे हैं। यदि कभी अधिक बिल जारी भी हो जाता है तो उसकी शिकायत हो जाती है और सुधार भी हो जाता है। किन्तु जहां स्मार्ट मीटर लगे हुये हैं वहां सुधार की कोई गुंजाइस नहीं रहती। क्योंकि बिजली कंपनी के अधिकारी कहते हैं कि रीडिंग खपत के अनुसार ही जारी की जाती है।

जबकि कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके घरों में खपत में बहुत अधिक अंतर नहीं आया कोई किरायेदार है तो दो तीन कमरों में गुजारा करता है। फिर भी स्मार्ट मीटर लग गया तो घर से किराये से अधिक उसे बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। इस तरह से दो प्रकार के मीटरों के माध्यम से होनी वाली लूट का अंतर देखा जाय तो वह कई करोड़ों का हो सकता है। यह किसी भी तरह की समानता की श्रेणी में नहीं आता।

## चंद समय में ही खराब हो रहे कई स्मार्ट मीटर

यह भी देखा जा सकता है कि जहां भी स्मार्ट मीटर एक साल पहले लगाये गये। थे उनमें कई खराब हो गये। कई मीटरों के माडम खराब हो गये, कई मीटर जिस बोर्ड में लगे थे वे नीचे लटक रहे हैं। जिससे कई मीटरों में पानी तक भर गया। कई मीटरों की सीलें तक टूट चुकी हैं। वहीं जिन परिवारों में स्मार्ट मीटर लगाये गये वहां कई उपभोक्ताओं के यहां लगाया भी नहीं, पुराने मीटर ही लगे हुये हैं। जबकि पुराने मीटरों में इस तरह की खराबी कम ही आती थी। वहीं स्मार्ट मीटर एक साल में ही जबाब दे रहे हैं। आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। कई मीटरों में यह भी देखा जाता है कि वे चलते-चलते जम्मा मारने लगते हैं। अचानक मीटरों की रीडिंग जम्मा मारने लगती है। चूंकि इन मीटरों का नियंत्रण बिजली कंपनी के कार्यालयों से है। लिहाजा कुछ भी हो सकता है। जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से एक बीमारी यह भी देखी जा रही है कि बिजली 24 घंटे में कई बार बंद होती है और चालू होती है। उसी समय मीटरों की बिलिंग में भी बदलाव देखा जाता है। इसलिये स्मार्ट मीटर भविष्य में आम जनता के लिये जानलेवा साबित हो सकता है। किन्तु दुर्भाग्य है कि इस मामले में जहां सत्ता व सरकार में बैठे लोग धुतराष्ट्र बने हुये हैं वहीं विपक्ष प्रभावी तरीके से आवाज नहीं उठा पा रहा है। इसलिये भविष्य में यही स्मार्ट मीटर एवं स्मार्ट बिजली यदि सत्ता परिवर्तन में आधी बनती है तो कई अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता।



# जनसुनवाई में हुई 31 आवेदनों पर कार्यवाही

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आज 31 आम लोगों की समस्याओं को सुना गया और तत्परता से आमजन की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कलेक्टर सभाकक्ष में संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम सहित अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद थे। राज्य शासन के निर्देश पर आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में आज जनसुनवाई हुई। इसके अलावा ग्राम पंचायत, विकासखण्ड और तहसील मुख्यालयों पर भी जनसुनवाई हुई और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। जनसुनवाई कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण किया गया।

# पशु चिकित्सा अधिकारी की संदिग्ध मौत, आवास में मिला शव

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। विकासखंड शाहनगर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. बी. एस. तिवारी की मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव शासकीय आवास में पलंग पर पड़ा मिला। बताया गया कि सुबह जब 10 बजे तक उनके आवास का दरवाजा नहीं खुला, तो पशु चिकित्सालय में कार्यरत चपरासी ने जाकर देखा।



दरवाजा भीतर से बंद था और कोई हलचल नहीं हो रही थी। किसी तरह जब वह अंदर पहुंचा, तो डॉ. तिवारी का शव बेड पर पड़ा हुआ था। चपरासी ने तत्काल इसकी सूचना उच्चाधिकारियों और पुलिस को दी। इस घटना की खबर कस्बे में आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलते ही शाहनगर पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मों को लॉक कर दिया। परिजनों के आने के बाद मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जहां बीएमओ डॉक्टर सर्वेश कुमार लोधी द्वारा पोस्ट मार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।

# बलराम जयंती पर पहली बार आयोजित होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम

कलेक्टर के प्रयास से हो सका संभव

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। कलेक्टर सुरेश कुमार के प्रयास से इस वर्ष पहली बार बलराम जयंती के अवसर पर श्री बलदेव जी मंदिर परिसर पन्ना में 14 अगस्त को संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में इसका प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है। इसके अतिरिक्त 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व पर श्री जुगल किशोर मंदिर प्राणग पन्ना में पूर्व वर्ष की भांति श्री कृष्ण पर्व का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकारों द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी जायेंगी।

श्री बलदेव जी के जन्मोत्सव हरछठ पर्व पर छतरपुर की कलाकार कमला लोधी भक्ति गायन, सीधी के कलाकार लाल बहादुर घासी द्वारा घसिया बाजा एवं स्वप्निल मैलोडी रूप जबलपुर बैंड के कलाकारों द्वारा भक्ति गायन प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्रम में जन्माष्टमी पर आयोजित श्री कृष्ण पर्व पर सागर के अमित चारु बंधाई एवं बरेदी लोकनृत्य तथा टीकमगढ़ के पवन तिवारी द्वारा भक्ति गायन प्रस्तुत किया जाएगा।

कलेक्टर सुरेश कुमार ने उक्त दोनों कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

# रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों से भेंट कर सकेंगी बहनें

प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन, मुलाकात का समय 10 मिनट निर्धारित

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। जेल विभाग द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों के परिजनों को शनिवार, 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर बंदियों से मुलाकात के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। सब जेल पवर्ड के सहायक जेल अधीक्षक मुनीन्द्र मिश्रा द्वारा जरूरी व्यवस्थाओं के संबंध में अवगत कराया है।

पुरूप बंदियों से मुलाकात और राखी बांधने के लिए केवल बंदी के परिवार की महिला सदस्यों एवं 6 वर्ष से कम आयु के बालक को ही जेल गेट के अंदर प्रवेश मिल सकेगा। बंदी से भेंट के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंजीयन होगा। मुलाकात का समय 10

मिनट निर्धारित है। परिजन को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोमती सामान, पर्स, मोबाइल, नगद राशि इत्यादि परिजन को बाहर देकर ही जेल गेट पर प्रवेश मिल सकेगा। यह सामग्रियां जेल के अंदर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त तैयार भोजन तथा बाहर से निर्मित किसी भी प्रकार के मिष्ठान और नारियल को अंदर ले जाने पर भी रोक रहेगी। केवल मौसमी फल जैसे सेब, केला, अनार इत्यादि दो-दो नग व पैक मिष्ठान ले जाने की अनुमति होगी। जेल प्रशासन द्वारा हल्दी, चावल व सिंदूर इत्यादि के साथ पूजा की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को रूमाल और राखी स्वयं लेकर आना होगा। बंदी से मुलाकात के लिए आने वाले सभी परिजनों को बाहर एक साथ एकत्र होने पर ही बंदी से भेंट कराई जाएगी। मुलाकात स्थल पर बार-बार एक ही बंदी को नहीं बुलाया जाएगा। इस दौरान राशि के नगद लेन देन पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, चरस एवं अन्य मादक पदार्थ इत्यादि को जेल के अंदर ले जाना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। जेल प्रशासन द्वारा तलाशी में पूर्ण सहयोग प्रदान कर किसी भी प्रकार का विवाद न करने के संबंध में भी सूचित किया गया है अन्यथा कानूनी व वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

# गुनौर में खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण

पन्ना 6 अगस्त। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आज गुनौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत मां चंडी रेस्टोरेंट, गुरुकुपा किराना, कान्हा दूध डेयरी, जोधपुर मिष्ठान भण्डार एवं जैन स्वीट्स का निरीक्षण कर खाद्य सामग्री का नमूना लिया गया। जांच के लिए नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा गत दिवस पन्ना सहित देवेन्द्रनगर, पवर्ड, अजयगढ़ क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्यवाही की गई थी। आगामी त्रैवारों के दृष्टिगत भविष्य में भी यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

# विद्युत उपकेंद्र खोलने विधायक ने लिखा ऊर्जा मंत्री को पत्र

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। पन्ना जिले की आरक्षित विधानसभा क्षेत्र गुनौर को समुचित विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं समय पर आम जनता, किसान भाइयों को उचित लाभ देने के उद्देश्य को लेकर विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भोपाल में मुलाकात करते हुए अप्रार्थ किया है। विधानसभा क्षेत्र गुनौर की विद्युत ऊर्जा को पर्याप्त देने एवं समय पर किसानों को पर्याप्त बिजली देने के उद्देश्य को लेकर ग्राम हरदाही और लुहरगांव गांव में शीघ्र ही विद्युत उप केंद्रों की स्थापना की जाए, ताकि समय रहते पर्याप्त बिजली किसानों को मिल सके और उनको कृषि कार्य में कोई दिक्कत न हो। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार हर गांव के हर किसान को मजबूत करने के लिए पत्र को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट



मंत्री श्री तोमर ने शीघ्र ही इस विषय पर अपना आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही यह मांग पूरी होगी और दोनों ही स्थानों पर विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी।

# सीएमएचओ ने किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर पी तिवारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रवीण द्विवेदी द्वारा गत दिवस आयुष्मान आरोग्य मंदिर तारा जाँ कि प्रसव केंद्र भी है का निरीक्षण किया गया। संस्था का रिकॉर्ड एवं कार्यप्रणाली अंसतोषजनक पाई गई। प्रसव केंद्र तारा में पदस्थ सीएमएचओ एवं एएनएम मुख्यालय में निवास नहीं करती जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। संबंधित को कारण बताओ सूचना



पत्र जारी करते हुए मुख्यालय में निवास हेतु चेतवनी दी गई। सीएमएचओ ने ग्राम द्वारा एवं यूपिन पिपरवाह में आयोजित वीएचएसएनडी एवं दस्तक अभियान की गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। एचबीएनसी, विटामिन ए अनुपूर्णा, आईएफए अनुपूर्णा की सेवाएं के साथ

# बीएलओ की मासिक बैठक के संबंध में निर्देश

पन्ना 6 अगस्त। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार द्वारा समस्त तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रतिमाह की 10 तारीख को पूर्व बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर की मासिक बैठक आयोजित कराने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इस क्रम में आज जनपद पंचायत शाहनगर के सभाकक्ष में तहसीलदार कोमल सिंह चहारा द्वारा बैठक लेकर निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही निर्वाचन संबंधी संचालित गतिविधियों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

# सब्जियों के बढ़ते दाम ने बिगाड़ा रसोई बजट

60 से 80 रुपए किलो तक बिका टमाटर

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। बारिश का असर सब्जी मार्केट में भी दिखने लगा है। शहर में बाहर से आने वाले टमाटर की आपूर्त कम होने के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं। दो दिन पहले ले तक 40 रूपये किलो बिकने वाला टमाटर शनिवार को स्थानीय फुटकर बाजार में 60 से 80 रूपये किलो तक बिका। बारिश के मौसम में टमाटर के लाल होने के साथ मिर्च के तेवर भी तीखे हो गए हैं। फुटकर बाजार में मिर्च 150 रूपये किलो

बिक रही है। शिमला मिर्च 120 रूपये किलो, खीरा देशी 80 रूपये रहे। धनिया की कीमतों ने एक बार फिर रिकार्ड तोड़ दिया है। धनिया 120 रूपये किलो के पार हो गई है। प्याज में भी तेजी:- प्याज की कीमत 20 रूपये से बढ़कर 25 रूपये हो गई है, भिंडी 60 रूपये किलो, लौकी 40 रूपये किलो, बरबटी 60 रूपये किलो बिक रही है। स्थानीय आवक कम होने से खीरा की कमी भी बढ़ गई है। देशी खीरा 80 रूपये किलो तो हाइब्रिड खीरा 40 से 50 रूपये बिका।

# आम लोगों की थाली से दूर हो रहीं सब्जियां

सब्जियों के दाम में रोजाना इजाफा हो रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। आम लोगों की थाली से हरी सब्जियां दूर होती जा रही हैं। थोक विक्रेता ने बताया, स्थानीय स्तर की सब्जियों की आवक कम होने के कारण दाम में आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकते हैं। इसके लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए।

# घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर हुई कार्यवाही

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। कलेक्टर न्यायालय द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक उपयोग पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई है। कलेक्टर सुरेश कुमार ने पन्ना नगर के तीन प्रतिष्ठानों से 5 सिलेंडर को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर कुमकुम टॉकीज के पास स्थित

भविष्य में पुनः इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के तहत आगामी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा उक्त तीनों प्रतिष्ठानों की गत 9 नवम्बर 2023 को जांच की गई थी। इस दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पाया गया था। साथ ही संचालकों द्वारा कोई भी वैध

बिल एवं दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर अधिनियम की धाराओं में गैस सिलेंडर सहित रेग्युलेटर व गैस पाइप जसी की कार्यवाही भी की गई। कलेक्टर न्यायालय में विवेचना के दौरान संबंधितजनों को पक्ष समर्थन के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। प्रकरण के अवलोकन के दौरान अवैधकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 को कांडिका का उल्लंघन पाया गया।

# एक ही दिन में 7 स्थानों से 121 लीटर महुए की कच्ची शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज पन्ना 6 अगस्त। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहा है। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना मुकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आज सुबह के समय विश्वस्त मुखबिरो की सूचना पर अचानक गठित दल के द्वारा देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 5 सिसोदिया मोहल्ला (कंजराना) में शिवशंकर सिसोदिया पिता रामलाल सिसोदिया, उम्र 55 वर्ष के कब्जे



से 20 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित कच्ची शराब कीमत 3000 रुपए लगभग जप्त किया। राहुल कंजर पिता राजू कंजर, उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 18 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित कच्ची शराब कीमत 2700 रुपए लगभग जप्त किया गया। श्रीमती पूजा सिसोदिया पति हिरेन्द्र सिसोदिया, उम्र 25 वर्ष के कब्जे से 17 पाव राहुल कंजर पिता राजू कंजर, उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 18 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित कच्ची शराब कीमत 2700 रुपए लगभग जप्त किया गया। राजाराम सिसोदिया पिता पूजा सिसोदिया, उम्र 46 वर्ष के कब्जे

से 13 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित कच्ची शराब कीमत 3300 रुपए लगभग जप्त किया गया। श्रीमती सजो सिसोदिया

पति नंदू सिसोदिया, उम्र 37 वर्ष, राहुल कंजर पिता राजू कंजर, उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 23 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित कच्ची शराब कीमत 3450 रुपए लगभग जप्त किया गया। इसी तरह ग्राम राजापुर में श्रीमती निमिया आदिवासी पति श्री आदिवासी, उम्र 44 वर्ष के कब्जे से 8 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित शराब की 1200 रुपए लगभग जप्त की गई। ग्राम मडियादाई (बडुवारा) में श्रीमती शीला आदिवासी पति श्री प्रकाश आदिवासी, उम्र 35 वर्ष के कब्जे से 13 लीटर हाथभट्टी महुए से निर्मित कच्ची शराब कीमत 1950 रुपए

लगभग जप्त की गई। सभी आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव, आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय, आबकारी उपनिरीक्षक हरीश कुमार पाण्डेय, स्मिता ठाकुर, रविप्रकाश मिश्रा, सोनू कोरकू, कुलदीप जाटव, नगर सैनिक फोटोलाल प्रजापति, मोतीलाल प्रजापति और जहान सिंह यादव और सुरेंद्र सिंह बुदोला शामिल रहे।